B.A II
PAPER-IV
DR. RAHUL KR PASWAN
DEPT of POL.SCI

⇒ ब्रिटेन में व्यवस्थापिका
(Legislature in Britain)

ब्रिटिश व्यवस्थापिका को हिंदी में संसद कहते है यह विश्व की संसद विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थापिका है इसकी प्राचीनता के चलते ही इसे संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित दो सदन है –

1. लॉर्ड्स सभा (House of Lords)
2. कॉमन्स सभा (House of Commons)

~~संसदीय संप्रभुता~~ अनुभव दोनों सदनों में लॉर्ड्स सभा अत्यंत प्राचीन है और कॉमन्स सभा का विकास लोकतंत्रीय परंपराओं के अनुकूल हुआ है प्रारंभ में इन दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर थी, परंतु धीरे-धीरे लॉर्ड्स सभा की शक्तियाँ घटती गई और कॉमन्स सभा की शक्तियाँ बढ़ती गई। लॉर्ड्स सभा को उच्च सदन और कॉमन्स सभा को निम्न सदन कहा जाता है।

ब्रिटिश संसद की संप्रभुता

संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संसद की प्रमुख विशेषता है जबकि अमेरिकी संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है।

संसद की संप्रभुता का अर्थ – ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के दो पक्ष है – (i) सकारात्मक पक्ष और (ii) नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक दृष्टि से ब्रिटिश संसद क्षेत्रांतर्गत सभी विषयों पर कानून बना सकती है कानून-निर्माण की उसकी क्षमता या शक्ति पर कोई पाबंदी नहीं है नकारात्मक दृष्टि से, ब्रिटेन में ऐसी कोई संस्था या निकाय नहीं है, जो ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सके। अमेरिका में कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों को वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय अवैध तथा असंवैधानिक घोषित कर सकता है।

Scanned by TapScanner

ब्रिटिश न्यायालयों को संसदीय विधियों की सांविधानिकता की जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

संप्रभुता के तत्व (Elements of Sovereignty)

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के निम्नांकित तथ्य उभरते हैं–

(i) सारे ब्रिटेन में ऐसा कोई भी कानून नहीं, जिसे संसद नहीं पारित कर सकती।

(ii) ब्रिटेन में ऐसा कोई भी कानून नहीं, जिसे ब्रिटिश संसद असमान्य घोषित नहीं कर सकती।

(iii) संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती और न न्यायालय इन्हें अवैध घोषित कर सकता है।

(iv) ब्रिटेन में सामान्य कानून और मौलिक कानून में कोई अंतर नहीं किया गया है।

(v) ब्रिटेन में रहनेवाले सभी लोग संसद द्वारा पारित कानूनों के पालन के लिए बाध्य हैं।

इन तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश संसद निश्चित रूप से संप्रभु है और वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई निर्णय ले सकती है।

निष्कर्ष: इन उपर्युक्त तथ्यों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत विभिन्न शक्तियों से सीमित है। डायसी ने कहा है कि संसदीय संप्रभुता के दो पक्ष हैं – वैधानिक और राजनीतिक। वैधानिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता के अधीन है। चूँकि ब्रिटिश संसद वैधानिक संप्रभुता का प्रतीक है और जनता राजनीतिक संप्रभुता जनता में निवास करती है, इसलिए सैद्धांतिक दृष्टि से असमर्थ होते हुए भी ब्रिटिश संसद ऐसे किसी भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती, जो ब्रिटिश जनता के हित के प्रतिकूल हो।